

कार्यालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

58

माल निर्धारण वाद संख्या...03...../2022-23

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

16/2/23

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक-174 दिनांक-11.02.2023 द्वारा आवेदक हरेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व० महादेव सिंह, साकिन-खम्भरा, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह के आवेदन के आलोक में निम्नलिखित भूमि का माल निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।


मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़)
खम्भरा	105	01	05	7
खम्भरा	105	01	08	5
खम्भरा	105	01	10	20
खम्भरा	105	01	12	06
खम्भरा	105	01	132	33
खम्भरा	105	01	151	25
खम्भरा	105	01	173	49
खम्भरा	105	01	185	97
खम्भरा	105	01	186	1.64
खम्भरा	105	01	187	60
खम्भरा	105	01	201	1.99
खम्भरा	105	01	202	40
खम्भरा	105	01	215	30
खम्भरा	105	01	264	2.03
खम्भरा	105	01	284	2.95
खम्भरा	105	01	358	1.54
खम्भरा	105	01	360	48
खम्भरा	105	01	367	2.10
खम्भरा	105	01	391	24
खम्भरा	105	01	382	21
खम्भरा	105	01	383	37
खम्भरा	105	01	394	66
खम्भरा	105	01	448	13
खम्भरा	105	01	450	1.71
खम्भरा	105	01	512	31
खम्भरा	105	01	517	108
खम्भरा	105	01	539	52
खम्भरा	105	01	539	52
खम्भरा	105	01	540	4.73
खम्भरा	105	01	764	1.58
खम्भरा	105	01	780	1.96

खम्भरा	105	01	817	1.45
खम्भरा	105	01	526	25
खम्भरा	105	01	541	12
खम्भरा	105	01	818	33
खम्भरा	105	01	820	1.51
खम्भरा	105	01	822	1.28
खम्भरा	105	01	824	0.34
खम्भरा	105	01	825	1.01
खम्भरा	105	01	828	58
खम्भरा	105	01	829	29
खम्भरा	105	01	835	40
खम्भरा	105	01	843	1.42
खम्भरा	105	01	852	24
खम्भरा	105	01	172/874	1.46
खम्भरा	105	01	175/876	43
खम्भरा	105	01	178/878	1.82
कुल रकवा				43.28 एकड़

अतः पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 1/3/23

को रखे।

~~16/2/23~~  
 भूमि सुधार उपसहायक  
 बगोदर-सरिया।

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<u>113/23</u>	<p>आभिलेख उपस्थापित   प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुप। आभिलेख दिनांक 15/3/23 को रखा।</p>	
<u>15/3/23</u>	<p>प्रथम पक्ष कालान्त हाजिर   द्वितीय पक्ष अनुप। प्रथम पक्ष के द्वारा सिद्धित अभिलेखन दारिजल दिया गया है। प्रथम पक्ष की अमावसी पूर्व से कायम रखा लगान रसीद निर्गत दिया जाता रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा लगान रसीद की जाया प्रति दारिजल दिया गया है। सरकारी लगान रसीद वर्ष 1963-64 का दारिजल दिया गया है। अतः लगान निर्धारण का कोई अतिरिक्त प्रतीक नहीं होगा है। अंचल अधिकारी, बगोटा को अभिलेखन वापस करने हुये निर्देश दिया जाता है कि निधमा उपर कारवाई करें।</p> <p style="text-align: right;">         W.D.     </p>	